न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 09/2019

शिवचरन पुत्र माखन जाति जाट निवासी कूम्हां (पैघोर) तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 26.12.2018 व मुकदमा सरकार बनाम शिवचरन मि0न0 04/2018

उपस्थित :– 1. श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 21.09.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 26.12.2018 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम कूम्हां की आराजी खसरा नम्बर 2038 रकवा 0.91 है0 किस्म सिवायचक में से 0.03 है0 पर अतिक्रमण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं तथ्य के विरूद्ध होने के कारण काविल निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बरान 2040/0.18, 2039/0.04 व 2038 मिन/0.03 अपीलान्ट की खातेदारी के खसरा नम्बर 2395/1.12 से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा निर्मित किये गये है और गलती से विवादित आराजी का इन्द्राज सिवायचक दर्ज कर दिया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी का खसरा नम्बरान 2040, 2039, 2038 की मौके पर जाकर नाप तौल नहीं की है और न ही पैमाईश कराई है। अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी में से 3 ऐयर रकवा भू प्रबन्ध विभाग ने कम करके खसरा नम्बर 2038 में गलत रूप से सम्मलित कर अभिलेख तैयार किया है जो आरम्भ से ही शून्य है। भू प्रबन्ध विभाग को किसी व्यक्ति के खातेदारी के रकवे को कम ज्यादा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पटवारी हल्का से विधिवत रिपोर्ट नहीं ली गई है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई गौर नहीं किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर दिनांक 21.05.2016 को प्रकरण संख्या 90/2012 शीर्षक शिवचरन बनाम सरकार उक्त भूखण्ड का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। अपीलान्ट को तीनों खसरा नम्बर 2038, 2039, 2040 गत के अनुसार कुल 0.25 है0 भू भाग 3 ऐयर खातदारी में दर्ज किया जाना चाहिये इस प्रकार खसरा नम्बर 2040/0.18, 2039/0.4, व 2038/0.3 रकवा होना चाहिये और अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिये। अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

का अवसर नहीं दिया गया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.12.2018 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2038 ग्राम कूम्हां के 3 एयर रकबे पर गैतबाडे का अतिक्रमण मानते हुये शास्ति अधिरोपित करने व बेदखली के आदेश दिये है। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील में पैमाईश नहीं कराने, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर द्वारा अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर का खातेदार घोषित करने का कथन करते हुये अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध बताया है। जहां तक विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने का प्रश्न है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 16.06.2016 द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2039 सिवायचक का खातेदार घोषित किया है, परन्तु प्रस्तुत अपील आराजी खसरा नम्बर 2038 ग्राम कूम्हां पर किये गये अतिक्रमण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

को लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः वकील अपीलान्ट की विवादित आराजी का खातेदार घोषित करने की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से विवादित खसरा नम्बर में मौके की जांच करना व पैमाईश करना स्पष्ट होता है। चूंकि आराजी खसरा नम्बर 2038 सिवायचक है एवं इस पर अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण के क्रम में विधिवित सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायलय ने निर्णय पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या–1, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 से अपीलाधीन आदेश में दर्ज आराजी व अन्य खसरा नम्बर बाबत मौके की यथास्थिति बनाये रखने को कहां है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2038 ग्राम कूम्हां पर गैतवाडे का निर्माण कर रखा है। जबकि उक्त खसरा नम्बर मुताविक राजस्व रिकार्ड सिवायचक दर्ज है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा किया गया निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की सुनवाई उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। अतः अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली नायव तहसीलदार कुम्हेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)